

प्रेषक :

ई0 सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि0)

सेवा में,

1. मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, राँची।
2. अधीक्षण अभियंता,
रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची।
3. उप निदेशक (वैज्ञानिक),
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

राँची, दिनांक.....

विषय :- दिनांक 08 एवं 09 सितम्बर 2014 को Australlian team के साथ विभाग की दो दिवसीय प्रस्तावित उच्चस्तरीय बैठक हेतु शीर्ष 49P4701-80-796-69-03-21 के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित ₹ 11.25 लाख में से बची हुई राशि से ₹ 2.50 लाख राशि का व्यय करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 7ब/4701 यो0 ज0 स0-13/14-41 दिनांक 05.06.2014 एवं अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग, अंचल, राँची का पत्रांक SE/DPMC/17/2011-12/535, दिनांक 27.08.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से शीर्ष 49P4701-80-796-03-21 मद में विभाग के शिष्टमंडल द्वारा Australlia स्थित Murray-Darling Basin का 13-24 जून, 2014 अवधि में अध्ययन भ्रमण पर व्यय हेतु पत्रांक-41 दिनांक-05.06.2014 द्वारा ₹ 11.25 लाख का आवंटन संसूचित है।

2. अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग, अंचल, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा 08-09 सितम्बर, 2014 को Australlian team के साथ Brahmani-Baitarni basin Model की प्रगति के संबंध में high level discussion हेतु प्रस्तावित बैठक के आयोजन की व्यवस्था के लिए ₹ 2.50 लाख राशि के व्यय की संभावना व्यक्त की गयी है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में आवंटित ₹ 11.25 लाख में से व्यय के पश्चात ₹ 7.42 लाख राशि अभी भी बची हुई है।




3. निदेशानुसार विभागीय प्रासंगिक पत्र से संसूचित पूर्व में आवंटित राशि ₹ 11.25 लाख में से बची हुई ₹ 7.42 लाख में से 08-09 सितम्बर, 2014 को Australian team के साथ high level discussion हेतु प्रस्तावित बैठक के आयोजन की व्यवस्था के लिए ₹ 2.50 लाख राशि के व्यय की विभागीय अनुमति प्रदान की जाती है।
4. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
5. जिस कार्य हेतु पूर्व में ₹ 11.25 लाख राशि का आवंटन निर्गत किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतु निधि का आवंटन नहीं किया जाएगा।

नोट:- यह आदेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

विश्वासभाजन,

ह. / -

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांक - 2/PMC/98/2012 रॉची, दिनांक.....

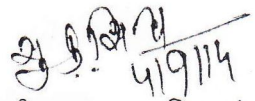
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि0)

पत्रांक - 2/PMC/98/2012 ~~7/17~~ रॉची, दिनांक ~~04/11/14~~

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, ~~सचिव~~ योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि0)